राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 6550/2022

अरविंद कुमार जैन —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेवन जिला, प्रतापगढ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2022
आदेश की दिनांक : 03.02.2023
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल—2 (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेवना जिला, प्रतापगढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2016 को विषयवार पदस्थापन सेट—अप परिवर्तन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेवना, प्रतापगढ में कर दिया गया जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 13.06.2016 (अनुलग्नक—1) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, तथा आदेश दिनांक 14.06.2016 (अनुलग्नक—2) के द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी सर्वाईकल की गंभीर बीमारी से पीडित है (अनुलग्नक—3)। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.09.2022 (अनुलग्नक—4) के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपनी शारीरिक बीमारियों का हवाला देते हुए स्थानान्तरण के संबंध में निवेदन किया जिसका निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य